भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2646

मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पश्चिम बंगाल में निवेश

2646. श्री सौमेंदु अधिकारी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अलग-अलग और राष्ट्रीय स्तर के बहु-व्यावसायिक घरानों ने पश्चिम बंगाल में निवेश करने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास के लिए प्रस्ताव और सहायता क्या है, और इसमें सरकार की सहभागिता क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): उद्योग राज्य का विषय है। औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए कई औद्योगिक घराने रुचि दिखा रहे हैं और कई ने संपर्क किया है। पश्चिम बंगाल में लौह और इस्पात, चाय, चमड़ा, जूट, एफएमसीजी, धातु और खनिज, सीमेंट, वस्त्र और परिधान, लॉजिस्टिक्स, रसायन, रबड़, रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, सूचना प्रौद्योगिकी और पेट्रो-उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई अग्रणी कंपनियां हैं।

केंद्र सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इनमें प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी), एकीकृत अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) सुधार, निवेश को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति सुधार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें शामिल हैं।
